



UPKJ010006652026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-324/2026

आशीष कुमार पुत्र अखिलेश केवट निवासी हनुमानगढ़ थाना खेड़ी जनपद नालंदा बिहार।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजनपक्ष।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-08/2025 अंतर्गत धारा 318(4),61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 D.I.T. थाना साइबर क्राइम कन्नौज जनपद कन्नौज में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-324/2026 जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

पुकार पर राज्य की ओर से ज़िला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित मिश्रा, एडवोकेट ने कथन किया है कि उन्हें उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना है, जिसका पृष्ठांकन उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के मैमों व आदेश पत्रक पर किया गया।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **आशीष कुमार** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक 18.03.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश,
कन्नौज।

J.O.CODE-UP02007